डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव

महत्वपूर्ण

अर्द्ध शा0प0सं0– 166 / 80–2–2020–100 (12) / 2020
उ0प्र0 शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2
लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2020

आदरणीय महोदया,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–03 / 2020 / 452 / 80–1–2020–600(22) / 2002 टी0सी0–।। दिनांक 23 अप्रैल, 2020 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषक सहकारी समूह, कृषक उत्पादक संगठन को प्रदेश में किसानों से सीधे थोक क्रय के लाइसेंस प्राविधानों को वर्तमान मण्डी नियमावली का सरलीकरण करते हुए छूट प्रदान की गयी है।

2– उक्त अधिसूचना द्वारा कृषक सहकारी समूह, कृषक उत्पादक संगठन को सीधा थोक क्रय लाइसेंस हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रति क्रय केन्द्र रु. एक हजार प्रति वर्ष आवेदन शुल्क सहित रु. एक लाख की बैंक प्रतिभूति की छूट प्रदान करते हुए उन्हे क्रय केन्द्र पर समस्त आवश्यक क्रय–विक्रय प्रपत्र जारी करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिससे उन्हे क्रय–विक्रय करने में सुविधा हो सके। इसके साथ ही मण्डी परिषद के मण्डी स्थलों के बाहर भाण्डागारों , साइलों ,शीतगृहों एवं प्रसंस्करण इकाईयों (दाल मिल, आटा मिल, ऑयल मिल आदि) को मण्डी उपस्थल की घोषणा कराने में वर्तमान मण्डी नियमावली का सरलीकरण व छूट प्रदान करते हुए क्रय–विक्रय के वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे कृषक अपनी उपज को इन वैकल्पिक स्थलों पर विक्रय कर सकेगें।

3– अतः अनुरोध है कि कृपया इस नीतिगत सुधार का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने तथा संस्था से संबंधित कृषक सहकारी समूह, कृषक उत्पादक संगठन द्वारा इस सम्बंध में नियमानुसार आवेदन प्रेषित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

25/4/2020

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)

सुश्री नील कमल दरबारी,
प्रबन्ध निदेशक,
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC)
एन.सी.यू.आई. ऑडीटोरियम बिल्डिंग,
5वॉ तल, 3– सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली–110016

Scanned with CamScanner